FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) [stamp] मुकाम

किशनाराम बगोरा बनाम पुराराम बगोरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 275/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-8-19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिणछाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/8/19 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
28/08/19	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण के नोटिस तामील अदम तामील वापस / पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 20/09/19 को पेश हो।	
20/09/19	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थी संख्या 2 से 31 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त तथा विप्रार्थी संख्या-1 के नोटिस पर मौत होना लिखा गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया / पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 07/10/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested

07/10/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण संख्या 2 से 31 बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज विपक्षीगण संख्या-2 से 31 5.45 pm पर लगाई गई है कोई अधिवक्ता उपस्थित स्वयं या उनकी ओर से कोई नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम-4 सपठित धारा 151 CPC विपक्षी संख्या-1 की फौतगी सूचना व कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने बाबत संशोधित विवरण पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र O-22 R-4 CPC को स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या-1 के कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये जाते है। प्रार्थी वकील विपक्षी संख्या-1 के कायम मुकाम विपक्षी संख्या-1/1 व 1/2 के नोटिस पेश करे पेश होने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 19/11/19 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

19/11/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण संख्या-1/1 व 1/2 के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली अपेक्षा दिनांक 10/12/19 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

10/12/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण संख्या-1/1 व 1/2 के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको 30 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई अधिवक्ता या स्वयं कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई कोई उपस्थित नहीं होने पर विपक्षी संख्या-1/1 व 1/2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 04/02/2020 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/02/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुप०। प्रार्थी के अधिवक्ता की एडमिशन बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत लगते मेड आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतो के बिच जो पुराने माडे व धोरे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेतो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है, वर्षात होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खेतो को तोड़कर उसमें काश्त कर लेते है। जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेतो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। जिस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की पक्की नेखमबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या ~~अपने अधिनस्थ~~ सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिश्नर रिपोर्ट जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 4/2/2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2020/ 07 | दिनांक:– 04/02/2020

प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण

किशनाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी सेवनियाला | | पुराराम पुत्र केशराराम वगैरा निवासी सेवनियाला

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 275/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा सेवनियाला पटवार हल्का सेवनियाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 289/372 रकबा 21.09 बीघा व मौजा सुथारों की ढ़ाणी पटवार हल्का सेवनियाला खसरा संख्या 13 रकबा 47.00 बीघा तथा मौजा खवालिया नाड़ा पटवार हल्का बोड़वा खसरा संख्या 38 रकबा 43.13 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 04/02/2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2020/ 08–12 | दिनांक:– 04/02/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी सेवनियाला/बोड़वा तहसील बायतु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री किशनाराम पुत्र पुरखाराम
4. विप्रार्थीगण पुराराम पुत्र केशराराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

Sd/-

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 12:42:27 IST
Reason: SelfAttested